IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, March 2024

"उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका : एक ऐतिहासिक अवलोकन"

डॉ. पूजा सिरोला
सहायक आचार्य (इतिहास)
एस. एस. जैन सुबोध गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, सांगानेर, जयपुर

शोध सार

भारत में शिक्षा को प्राचीनकाल से ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। समयानुरूप भारतीय शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन दृष्टिगोचर है। ब्रिटिशकालीन भारत के दौरान शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं लेकिन 1947 ई. में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सिर्फ प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा ही नहीं अपितु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नीति का निर्माण हुआ। 1986 ई. में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की पहल पर भारतीय संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्ययोजना जारी की। तत्कालीन भारत में नवीन चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप देश में नई शिक्षा नीति का प्रारम्भ हुआ। वर्तमान काल तथा कुछ सालों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के द्वारा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की चुनौतियों को देखते हुए परिवर्तन किये जा रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीनीकरण किया जा रहा है। उन तथ्यों को लेखक द्वारा उजागर किया जाएगा। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता इस शोध पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व का विवरण प्रस्तुत करेगी।

संकेतक – प्राथमिक, उच्च, संसद, उजागर, NEP

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा समाज का महत्वपूर्ण अंग रही है। प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक शिक्षा ही मानव जाति के प्रगति का सूचक रही। प्राचीन भारत की उत्कृष्ठ शिक्षण प्रणाली तथा पुरोध विद्वानों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। भारत में शिक्षा गुरु – शिष्य परम्परा का मजबूत आधार रही। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली व्यवसायिक नहीं थी और प्रजा की शिक्षा का दायित्व राजा पर नहीं था। सम्पूर्ण शिक्षा सत्य की खोज में पारस्परिक सहभागिता थी। शिक्षार्थी को कोई राशि नहीं देनी पड़ती थी और गुरु – शिष्य दोनो का निर्वाह धनी परिवारों द्वारा दी गई सहायता राशि पर निर्भर था। एक प्रकार से शिक्षा शासन प्रणाली से स्वतंत्र थी तथा शिक्षा का माध्यम संस्कृत था जिसमें संपूर्ण धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष ज्ञान उपलब्ध था।[1] मुस्लिम आगमन {मध्यकाल} से शिक्षा व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। प्रजा की शिक्षा का दायित्व अब भी राजा पर नहीं था। मस्जिदों में मौलवी तथा पाठशालों में पंडित संपूर्ण जनसंख्या के आंशिक भाग को शिक्षा प्रदान करता था। इसी प्रकार उच्च शिक्षा व्यवस्था विद्यालयों, आश्रमों व चतुष्ठवादी जैसी संस्थाओं में दी जाती थी। आधुनिक भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के लगभग आधी शताब्दी तक भी ब्रिटिश प्रशासकों ने पाश्चात्य शिक्षा को भारत में स्थापित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। यूरोपियन आगमन के पश्चात् निजि स्तरों पर ईसाई मिश्नरियों के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार अवश्य होता रहा।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, March 2024

औपनिवेशिक काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति एवं परिवर्तन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में औपनिवेशिक काल {ब्रिटिशकालीन भारत} के अन्तर्गत शिक्षण क्षेत्र में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रयासों को अपर्याप्त ही कहा जा सकता है परन्तु राजनीतिक सत्ता ग्रहण के साथ–साथ इस काल में शिक्षा में भी बदलाव हुआ। पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की सही रूप से स्थापना लॉर्ड मैकाले के विवरण द्वारा 1835 ई. में हुई तत्पश्चात् संस्कृत तथा अरबी भाषा के माध्यम के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा एवं भाषा को प्राथमिकता दी गई।[2] ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा के इतिहास मे वुड डिस्पैच (1854) अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस घोषणा पत्र में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कर महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया गया तथा इस योजना के पश्चात् 1857 ई. में कलकत्ता, मद्रास व बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1880 ई. में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली के गुण दोष समझने के लिए 1882 ई. में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर को बनाया गया।[3] हन्टर आयोग की स्थापना के पश्चात् अंग्रेजी शिक्षा तथा साहित्य की प्रगति को प्रोत्साहन मिला। पंजाब एवं उत्तर भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

औपनिवेशिक काल में शिक्षण कार्य को सुचारू और बेहतर बनाने हेतु निरन्तर ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा प्रयास किये गये। ऐसा ही एक प्रयास 1904 में 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' था जो लॉर्ड कर्जन (1899–1905) के काल में पारित हुआ।[4] इस अधिनियम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए जो निम्नांकित हैं –

(1) शोध कार्य के लिए प्राध्यापकों व व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाए।

(2) विश्वविद्यालयों मे उपदस्यों (Fellow) की संख्या न्यूनतम 50 तथा अधिकतम 100 हो।

(3) इस अधिनियमों द्वारा अशासकीय कॉलेज पर सरकार का नियंत्रण हो।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) के पश्चात् भी भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्र में विशेष बदलाव नहीं हुआ। 1917–1919 मे सैडलर आयोग के पश्चात् स्नातक उपाधि को तीन वर्ष तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रावीण्य (Honours) पाठ्यक्रम व साधारण पाठ्यक्रम (Pass Course) पृथक किए गए। आयोग के सुझावों के अनुसार विश्वविद्यालयों के नियमों में उदारता रखी जाए, अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा रखी जाए। 1916–1921 के मध्य मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानिया विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए।[5] 1929 ई. में पुनः एक बार ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार के लिए हार्टोग समिति का गठन किया जिसमे विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। आजादी तक औपनिवेशिक काल की शिक्षण व्यवस्था निरंतर जारी रही।

स्वतंत्रता के पश्चात् उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली की ओर सुचारू रूप से ध्यान दिया गया। नवम्बर 1948 ई. में सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया[6], इस आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें दी –

1. विश्वविद्यालय अध्ययन से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो।
2. विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन का अध्ययन होना चाहिए।
3. उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य होना चाहिए – 1. सामान्य शिक्षा 2. संस्कारी शिक्षा 3. व्यवसायिक शिक्षा
4. उच्च शिक्षण के अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि की जाए।
5. आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए।[7]

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, March 2024

राधाकृष्णन आयोग के बाद सन् 1964 ई. में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ जिसमें मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया गया परन्तु उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो।[8] साथ ही तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर अधिक ध्यान देने का परामर्श दिया।

प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

आजादी के पश्चात् हमारी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य हमारे गतिहीन समाज को ऐसे गतिशील समाज मे परिवर्तित करना था जिसमें शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन किए जा सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद 1 मई 1986 में किया गया था तथा नवम्बर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना के दस्तावेज का प्रकाशन किया गया।[9]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार रहे –

1. प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाए।
2. साक्षरता दर में वृद्धि पर बल।
3. उच्चतर शिक्षण में सुधार लाना ताकि अर्थव्यवस्था की आधुनिकीकरण तथा सार्वभौमिकता में निहित जो चुनौतियाँ विद्यमान हैं उनका समाधान निकाला जाए।
4. शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

1. वृहद संख्या में स्वायतता प्राप्त कॉलेजों का विकास किया जायेगा तथा विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विभागों को भी स्वायतता दी जाए।
2. शिक्षण विधियों को बेहतर बनने का प्रयत्न कया जायेगा साथ ही शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन भी सुचारू रूप से किया जायेगा।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए तथा अनुसंधान की गुणवता पर बल दिया जाए।
4. उच्चतर संस्थानों के शिक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा परिषदें कार्य करें।
5. शिक्षा के समान अवसरों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को नवीन शिक्षा नीति द्वारा प्रश्रय दिया जायेगा।[9]

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए तथा योजना को लागू कर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया। भारत सरकार ने शिक्षा को ना सिर्फ आधुनिक काल के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया अपितु उत्कृष्ठता भी प्रदान की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधारों के पश्चात् भी 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन किया गया उसके बाद 2009 में पुनः संशोधन किया गया। नवीन सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को भी बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई जो समाज को विकास की ओर अग्रसर करें। भारत सरकार ने नवीन शिक्षा नीति को शिक्षा व्यवस्था की मांग समझा इसलिए तब 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की योजना प्रकाश में आई।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की प्रथम शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य भारत देश के विकास की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, March 2024

है। नई शिक्षा नीति के द्वारा तार्किक क्षमता वृद्धि, नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर का विकास किया जाए। पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन[10] के नेतृत्व में शिक्षा विशेषज्ञों के पैनल ने भारतीय शिक्षण प्रणाली में भविष्य में आने वाली समस्याओं और समायोजना पर चर्चा की गई तथा परिवर्तन किए गए।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) की भूमिका

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अनेकों पक्षों को सुधारने का प्रयास किया गया इन्हीं में से एक पक्ष उच्च शिक्षा का है। इस नीति में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की समस्याओं पर चर्चा के साथ इस दिशा में विचार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अपेक्षित है कि यह उच्च शिक्षण संस्थानों को समस्या की तलाश की बजाय समस्याओं के समाधान पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को रुपांतरित कर देगा।[11]

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन उल्लेखनीय है

(1) गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना

उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बहुविषयक बनाया जाए जिससे विद्यार्थी अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी के साथ स्थानीय या भारतीय भाषाओं में भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त हो सके। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षण व अनुसंधान को आधार बनाया जाए।

(2) संस्थागत पुनर्गठन पर बल[12]

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वृहद एवं बहुविषयक विश्वविद्यालय, कॉलेज, नॉलेज हबों में परिवर्तित उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त किया जाए। संस्थानों को बहु विषयक बनाते हुए विद्यार्थियों की सर्वांगीण शिक्षा पर बल दिया जाए जिससे शिक्षार्थी का समग्र विकास हो सके।

(3) समग्र एवं बहुविषयकता को उच्च शिक्षण में शामिल करना

प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षण प्रणाली में समग्र व बहुविषयकता को शिक्षण का एक भाग बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में भी विद्यार्थी समग्र व बहुविषयकता के अन्तर्गत कला, मानविकी, भाषा, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी, व्यवसायिक, व्यवहारिक कौशल इत्यादि का अध्ययन कर सकेगा। अलग–अलग शिक्षण संस्थान योजनाओं को व्यवहारिक रूप में लागू करेंगे।[13]

(4) शिक्षण का बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाना

नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षार्थी के लिए शिक्षण का पहले से अधिक उत्तम वातावरण का निर्माण किया जाएगा। शिक्षण विधियों, रचनात्मक पाठ्यक्रम, समय–समय पर मूल्याकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।[14]

(5) अन्तर्राष्ट्रीयकरण[15]

नई शिक्षा नीति में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाए। भारतीय संस्थान एवं वैश्विक संस्थानों के मध्य शिक्षा का आदान प्रदान बढ़े।

(6) विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया जैसे वित्तिय सहायता, शिक्षण भार को कम करना, सतत् मूल्यांकन, कला, खेल इत्यादि को प्रोत्साहन।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, March 2024

(7) अकादमिक अनुसंधान को प्रेरित किया जाए[16]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जाएगा। सामाजिक, विज्ञान, कला, तकनीक, दर्शन प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शोध को शामिल कर समाज व देश के विकास में योगदान दिया जाए।

उपर्युक्त उल्लेखनीय तथ्य नवीन शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा में शामिल किए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य उपयोगी पक्षों की ओर भी ध्यान दिया गया है जो उच्च शिक्षा, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षिक तथा गुणवत्तापूर्ण वातावरण प्रदान करें। शिक्षा नीति में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश, संस्थानों में प्रभावी प्रशासन एवं नेतृत्व क्षमता जैसे बिन्दुओं को भी महत्व दिया गया है। उपरोक्त विवरण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही नहीं अपितु आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास तथा स्वतंत्रता पश्चात् निरंतर प्रयास का विवरण प्राप्त होता है। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पक्ष को परिवर्तन व सुधार के साथ लागू किया है। भविष्य में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की प्रगति में कारगर सिद्ध होगी।

संदर्भ

[1]. डॉ. सत्या एम.राय, भारत में उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद, पृष्ठ 141, हिन्दी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2016

[2]. ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ 183, खंड 6, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली, 2007

[3]. डॉ. जी. पाण्डेय, प्राचीन एवं आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, पृष्ठ 93, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2008

[4]. बी.एल. ग्रोवर, अलका मेहत व यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ 258, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नई दिल्ली, 2015

[5]. वहीं 260

[6]. Report of the Radha Krishanan, Commission on University of Education (1994)

[7]. वहीं 260

[8]. wikipedia, httpp ://hi.m.wikipedia.org

[9]. प्रताप सिंह और एच.जे.मंगलानी, आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, पृष्ठ संख्य 134–135, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर

[10]. The Hindu, 26 Nov. 2023

[11]. दि हिन्दुस्तान टाइम्स 'How NEP Can Transform Higher education in India' 30 july, 2021

[12]. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट, पृष्ठ 54

[13]. वहीं 57 – 60

[14]. वहीं 61 – 62

[15]. वहीं 62 – 63

[16]. वहीं 72 – 74

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in